

कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, राजस्थान, जयपुर

“विज्ञप्ति”

राज्य सरकार एवं विद्युत कम्पनियों में दिनांक 01.01.2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों की मेडिकलेम पॉलिसियों का राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग द्वारा संचालन किया जा रहा है। पॉलिसी के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित निजी चिकित्सालयों व सभी राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है। गैर अनुमोदित चिकित्सालय में ईलाज कराने पर पुनर्भरण नहीं किया जाएगा। ईलाज की सुविधा CGHS पैकेज दर एवं पॉलिसी के नियमों व शर्तों के अनुरूप अधिकतम रु. 2 लाख तक ही देय होगी।

मेडिकलेम पॉलिसी के अन्तर्गत अनुमोदित चिकित्सालयों ने CGHS दर पर ईलाज करने की सहमति दी है एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालय CGHS दर पर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु बाध्य है। राज्य कर्मचारी द्वारा मेडिकलेम पॉलिसी में बीमित होने की सूचना चिकित्सालयों को नहीं दिये जाने के कारण चिकित्सालय द्वारा सामान्य दर से चिकित्सा राशि वसूल कर ली जावेगी जबकि बीमित का ईलाज CGHS दर, जो कि अस्पताल की सामान्य दर से कम है, पर ही ईलाज हो सकता है। टी. पी.ए. द्वारा बीमित को CGHS दरों पर ही चिकित्सा खर्च का पुनर्भरण किया जावेगा।

यदि कर्मचारी द्वारा मेडिकलेम पॉलिसी में बीमित होने की सूचना एवं आवेदन पत्र नहीं भरने के कारण चिकित्सालय द्वारा सामान्य दर से राशि वसूल की जाती है तो निजी चिकित्सालय द्वारा अधिक वसूल की गयी राशि स्वयं बीमित द्वारा वहन की जावेगी। ईलाज के समय बीमित कर्मचारी अनुमोदित निजी चिकित्सालय में राज मेडिकलेम पॉलिसी में बीमित होना अवश्य सूचित करें एवं ईलाज हेतु अस्पताल में निर्धारित आवेदन पत्र अवश्य भरकर दें। चिकित्सालय द्वारा CGHS दर से अधिक राशि वसूल किये जाने पर तुरन्त राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग एवं टी.पी.ए. को सूचित करें। यदि कर्मचारी चिकित्सालय में अपनी पहचान व्यक्त नहीं करता है एवं CGHS दर से अधिक राशि वसूलने की सूचना राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग एवं टी.पी.ए. को नहीं देता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।

दिनांक 01.07.2013 से मेडिकलेम पॉलिसियों में गुड हैल्थ प्लान लि. को नियुक्त किया गया है, जिसका पता निम्न है: – गुड हैल्थ प्लान लि. जी-23, 210, द्वितीय तल, श्री मेन्शन, कमला मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर – 302001, फोन नं. – 0141-4027174, टोल फ्री नं. – 18604253232, ईमेल – ashok.saini@ghpltpa.com, फैक्स नं. 0141-2363650

30.06.2013 से पूर्व उत्पन्न दावे अनयुता टी.पी.ए. द्वारा ही संधारित किये जाएंगे।

ईलाज के लिए भर्ती के समय टी.पी.ए. को अवश्य सूचित करें। केशलेस चिकित्सा जो केवल Critical Illness एवं सर्जिकल मामलों में ही देय है, सुविधा के लिए भर्ती के साथ ही टी.पी.ए. से Pre-authorisation लेवें। पुनर्भरण दावों को प्रस्तुत करते समय दावा प्रपत्र के साथ बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड, एम.आई.सी.आर. कोड व मोबाइल नं., एम्प्लॉई आई.डी. आवश्यक रूप से दें। अपूर्ण रूप से भरे दावा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। मेडिकलेम पॉलिसी वर्ष 2013-14, प्रस्ताव पत्र, दावा पत्र का प्रारूप, अनुमोदित चिकित्सालयों की सूची व अन्य जानकारी हेतु विभाग की वेबसाइट [www.sipf.rajasthan.gov.in](http://www.sipf.rajasthan.gov.in) देखें।

वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक,  
राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग